

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th July, 2010

INCOME-TAX

S.O. _____ (E) In the Notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), number 41/2010 dated 31st May, 2010 bearing S.O. 1261 (E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 31st May, 2010 –

- (i) at page 24 in third line of sub-rule (8), at page 26 in fourth line of sub-rule (7), at page 28 in third line of sub-rule (6), at page 30 in third line of sub-rule (7) and at page 30 in fourth line of sub-rule (5), *for* “(Amendment)”, *read* “(6th Amendment)”;
 - (ii) at page 31 of the Gazette Notification, in first line of Clause (b) of Part B, *for* “Form No.12 BB”, *read* “Form No.12 BA”;
 - (iii) at page 36 of the Gazette Notification, in second line of the heading of Item I, *for* “THROUGH CHALLAN”, *read* “THROUGH BOOK ENTRY”;
 - (iv) at page 37 of the Gazette notification following note shall be inserted after note 5:-

“6. Separate annexure may be attached for Summary of payment in case number of payment/credit during the relevant quarter is more than one.”;
and
 - (iv) at page 42 of the Gazette notification following note shall be inserted after note 5:-

“6. Separate annexure may be attached for Summary of receipt in case number of receipt/debit during the relevant quarter is more than one.”.
2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

Notification No. 55/2010/F.No.142/27/2009-SO(TPL)



(Rajesh Kumar Bhoot)
Director (Tax Policy and Legislation)

(भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2010

आयकर

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 41/2010 दिनांक 31 मई 2010 जिसका का.आ. 1261 (अ) है तथा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 31 मई, 2010 को प्रकाशित हुई थी, में -

- (i) पृष्ठ 24 में उपनियम (8) की तीसरी पंक्ति में, पृष्ठ 26 पर उपनियम (7) की चौथी पंक्ति में, पृष्ठ 28 में उपनियम (6) की तीसरी पंक्ति में, पृष्ठ 30 पर उपनियम (7) की तीसरी पंक्ति में तथा, उपनियम (5) की चौथी पंक्ति में “(संशोधन)” के स्थान पर “(छठवां संशोधन)” पढ़ा जाये ;
- (ii) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 31 पर भाग (ख) के खंड (ख) की प्रथम पंक्ति में “फार्म सं. 12 खख” के स्थान पर “फॉर्म 12 खक” पढ़ा जाये ।
- (iii) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 36 पर मद (1) के शीर्षक की प्रथम पंक्ति में “चालान के माध्यम से” के स्थान पर “बही प्रविष्टि के माध्यम से” पढ़ा जाये ।
- (iv) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 37 पर टिप्पण 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण को अंतः स्थापित किया जाएगा ।

“6. संगत तिमाही के दौरान एक से अधिक संदाय / जमा होने पर संदाय के सारांश के लिए अलग से संलग्नक लगाएं” और

(v) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 42 पर टिप्पण 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“6. संगत तिमाही के दौरान एक से अधिक प्राप्ति/ विकलन होने पर प्राप्ति के सारांश के लिए अलग से संलग्नक लगाएं”

अधिसूचना सं. 55 /2010/फा.सं.142/27/2009-अनु.अधि.(टीपीएल)

(राजेश कुमार भूत)

निदेशक (कर नीति एवं विधायन)